



(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री प्रभूनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्रकूट श्री शेषमणि शुक्ला द्वारा आज दिनांक 01.05.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 133/2019 धारा 147,148,149,307,323,325,506 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त 1.राजेन्द्र सिंह उर्फ ननकू सिंह 2.गुड्डू पुत्र राजेन्द्र सिंह 3.गेण्डा उर्फ नागेन्द्र पुत्र बच्छराज सिंह 4.अल्लक उर्फ जितेन्द्र पुत्र बच्छराज सिंह 5.सर्वेश सिंह पुत्र देवनाथ सिंह निवासीगण गरीब का पुरवा मजरा सरधुवा थाना सरधुवा अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 40,000/- व अभियुक्त 6. उमेश सिंह पुत्र चन्द्रभूषण निवासी गरीब का पुरवा मजरा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.07.2019 को वादी राजा सिंह पुत्र साधू सिंह निवासी गरीब का पुरवा मजरा सरधुवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तगणों द्वारा एक राय होकर शस्त्र एवं लाठी डण्डो से लैश होकर शिवशंकर को गोली मारकर घायल कर देना व कमल एवं विनय को लाठी डण्डो से मारकर घायल कर देना । इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 133/2019 धारा 147,148,149,307,323,504,506 भा0द0वि0 बनाम 1.राजेन्द्र सिंह उर्फ ननकू सिंह 2.गुड्डू 3.अल्लक उर्फ जितेन्द्र 4.गेण्डा उर्फ नागेन्द्र 5.सर्वेश सिंह 6.उमेश सिंह निवासीगण गरीब का पुरवा मजरा थाना राजापुर वर्तमान थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री अखिलेश राय द्वारा सम्पादित की गयी थी जिसके क्रम में अभियुक्त राजेन्द्र,अल्लक,गुड्डू एवं गेण्डा को दिनांक 28.07.2019 व अभियुक्त उमेश और सर्वेश को 03.08.2019 को गिरफ्तार करते हुए दिनांक 22.10.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।